[2022] 4 S.C.R. 675

सुरेंद्रन

बनाम्

केरल राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1080)

13 मई, 2022

[एन. वी. रमना सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और हिमा कोहली, जे. जे.]

एनवी रमन्ना, सीजेआई

1. तत्काल अपील, विशेष अनुमति के माध्यम से, 2006 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1801 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.09.2018 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी थी। पति (आरोपी नंबर 5). आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों की दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया है और अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी [संक्षेप में 'आईपीसी '] के तहत बरी कर दिया है, जबकि धारा 498ए आईपीसी के तहत उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को और संशोधित करते हुए एक वर्ष कठोर कारावास में बदल दिया है।

2. अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यों की रूपरेखा इस प्रकार है: अपीलकर्ता ने 09.04.1995 को मृतक से शादी की। शादी के बाद, मृतक अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ उनके वैवाहिक घर में रहता था। आरोप है कि अपीलकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शादी के तुरंत बाद मृतिका को परेशान करना शुरू कर दिया और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। कथित तौर पर, मृतक ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा मानसिक उत्पीड़न के कारण 11.02.1996 को बेंजाइल हेक्सा क्लोराइड पाउडर का सेवन करके आत्महत्या का प्रयास किया। सौभाग्य से, पलक्कड़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद वह ठीक हो सकीं। इस घटना के बाद, पार्टियों के बीच मध्यस्थता हुई और पार्टियों के बीच समझौता हुआ, जिससे मृतक आरोपी के घर पर

रहता रहा। उपरोक्त समझौते के बावजूद, यह आरोप लगाया गया है क्र उत्पीड़न जारी रहा और मृतक ने 21.10.1996 को अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

3. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता, उसके माता-पिता और उसके दो भाइयों पर आईपीसी की धारा 304बी और 498ए के तहत आरोप लगाया। लंबित मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ता के पिता का निधन हो गया। ट्रायल कोर्ट ने सभी गवाहों की जांच करने और अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को देखने के बाद, आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत दोषी ठहराया। दिनांक 12.05.2006 के फैसले के तहत अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता के भाइयों को दोनों अपराधों से बरी कर दिया। हालाँक्र, अपीलकर्ता और उसकी माँ के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी।

4. व्यथित होकर अपीलकर्ता और उसकी मां ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। जैसा क्र पहले ही ऊपर उल्लेख क्रिया गया है, आक्षेपित फैसले के तहत, उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और अपीलकर्ता और उसकी मां को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत बरी कर दिया, जबक्र आईपीसी की धारा 498 ए के तहत उनकी सजा की पुष्टि की। हालाँक्र, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को दी गई सजा को घटाकर एक वर्ष के कठोर कारावास और उसकी माँ की सज़ा को एक महीने के कठोर कारावास में बदल दिया। अपीलकर्ता की मां ने इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की है।

5. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों का मुख्य जोर दुगना है। पहला, मृतक द्वारा दिए गए सुसाइड नोट और अन्य बयानों पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराने के लिए अदालत द्वारा भरोसा नहीं क्रिया जा सकता क्योंक्र वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) के दायरे में नहीं आते हैं। (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम')। दूसरा, पीडब्लू3 (मृतक की मां) का साक्ष्य विरोधाभासी है और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा नहीं क्रिया जा सकता है। उपरोक्त दो तर्कों के आधार पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस अदालत को यह समझाने का प्रयास क्रिया क्र आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है , और इसलिए, उसे इससे बरी कर दिया जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील का कहना है क्र नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा तथ्यों के तीन समवर्ती निष्कर्ष हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा क्रिसी भी हस्तक्षेप

के योग्य नहीं हैं। राज्य के □वद्वान वकील का यह भी कहना है □क आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के □लए स्पष्ट मामला बनाने के □लए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं।

7. अपीलकर्ता और प्रतिवादी राज्य के □वद्वान वकील को □वस्तार से सुना।

8. आगे बढ़ने से पहले, अपीलकर्ता के □वद्वान वकील की दलीलों पर ध्यान देना समीचीन है, □वशेष रूप से □क वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 304 बी के तहत बरी कर दिया गया था और इस□लए, के बयान आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपनी दोष□सद्□ध को बरकरार रखने के □लए मृतक पर उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा नहीं □कया जा सकता था क्यों□क यह साक्ष्य अ□धनियम की धारा 32(1) के दायरे में नहीं आता।

9. इस संदर्भ में साक्ष्य अ□धनियम की धारा 32 के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उ□चत है । धारा 32 ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए बयानों की स्वीकार्यता से संबं□धत है जिसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है। धारा स्वयं उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिनके तहत ऐसे बयान प्रासं□गक हो जाते हैं। वर्तमान मामले में, हम एक ऐसी परिस्थिति से □चंतित हैं, वह यह है □क जब बयान देने वाला व्यक्ति मर चुका है। अपीलकर्ता के □वद्वान वकील ने मृतक के साक्ष्य को बाहर करने के प्रयास में मुख्य रूप से साक्ष्य अ□धनियम की धारा 32(1) पर ध्यान केंद्रित □कया है और सुझाव दिया है □क यह उपरोक्त उपधारा के दायरे में नहीं आता है और इस□लए, अस्वीकार्य है। साक्ष्य अ□धनियम की धारा 32 का प्रासं□गक भाग नीचे दिया गया है:

> 32. ऐसे मामले जिनमें मृत व्यक्ति या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता आदि द्वारा प्रासं□गक तथ्य का बयान प्रासं□गक है। - □कसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए □ल□खत या मौ□खक या प्रासं□गक तथ्य, जो मर चुका है, या जो पाया नहीं जा सकता, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती, बिना □कसी देरी या खर्च के दिए गए हैं। मामले की परिस्थितियाँ न्यायालय को अनु□चत प्रतीत होती हैं, निम्न□ल□खत मामलों में स्वयं प्रासं□गक तथ्य हैं:
>
> (1) जब यह मृत्यु के कारण से संबं□धत हो। जब □कसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में या लेन-देन की □कसी भी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तो ऐसे मामलों में जहां उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे जिस व्यक्ति ने उन्हें बनाया है, उस समय जब वे दिए गए थे, वह मृत्यु की प्रत्याशा में था या नहीं था, और कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

xxx xxx xxx

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) को प्रसिद्ध रूप से "मृत्युपूर्व घोषणा" अनुभाग के रूप में जाना जाता है, हालांकि इस वाक्यांश का साक्ष्य अधिनियम के तहत उल्लेख नहीं मिलता है । न्यायालयों को विभिन्न अवसरों पर धारा 32 , विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के दायरे और दायरे पर विचार करने का अवसर मिला है।

11. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) पर भरोसा करने के लिए, उपधारा में निर्धारित मुख्य शर्तों में से एक यह है कि मुद्दा "उन मामलों में उत्पन्न होना चाहिए जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है" । अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील की दलील यह है कि, वर्तमान मामले में, आईपीसी की धारा 304 बी के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया है , और इसे चुनौती देने वाली किसी भी अपील की अनुपस्थिति के कारण, वर्तमान मामला केवल से संबंधित है आईपीसी की धारा 498ए. इसलिए, वर्तमान मामला उपरोक्त उपधारा के दायरे में नहीं आता है क्योंकि यह अब ऐसा मामला नहीं है जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराने के लिए मृतक के बयानों को स्वीकार करने के लिए न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य , (2002) 2 एससीसी 619 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार देखा था:

> “10. क्रूरता की एक अन्य स्थिति मृतक से बच्चे को छीनने के संबंध में है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू 5 के बयान का हवाला दिया है, जो मृतक की बहन है। 45 1990 को अदालत में दर्ज अपने बयान में पीडब्लू 5 ने कहा था:

"जब भी मैं अपनी बहन के पास गई, तो वह हर बार □शिकायत कर रही थी □क दहेज में एक स्कूटर और एक टू इन वन की शेष रा□श पूरी न करने के कारण उसके पति और ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं।

"और आगे कहा □क:

"दिनांक 03-06-1987 को आ□खरी बार मैं मृतक के घर यानि उसके पृथक निवास पर गया था। उस दिन स्वर्णा, स्निग्धा, सीमा आपा, बेबी आपा मेरे साथ उसके घर गईं। उस समय मृतिका ने हमेशा की तरह हमारे सामने □शिकायत की और यह भी कहा □क आजकल आरोपी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. उसने हमारे सामने □शिकायत की □क आरोपी उससे बच्चे को छीन रहा है और उसकी सास आ गई है और उसके (मृतका) □खलाफ कोई साजिश रच रही है। उन्होंने आगे बताया □क 'मते औ बांचई देबेनाहिन'.'

ऐसा प्रतीत होता है □क ऐसा बयान भारतीय साक्ष्य अ□धनियम की धारा 32 की सहायता से उस समय रिकॉर्ड पर □लया गया था जब अपीलकर्ता पर धारा 304 बी के तहत अपराध के □लए मुकदमा चलाया जा रहा था और ऐसा बयान उक्त के खंड (1) के तहत स्वीकार्य था। यह धारा मृतक की मृत्यु के कारण और लेन-देन की परिस्थितियों से संबं□धत है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। ऐसा बयान दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के □लए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है और इसे केवल सुनी-सुनाई साक्ष्य माना जाएगा। धारा 32 सुनी-सुनाई बातों के नियम का एक अपवाद है और यह □कसी व्यक्ति के मृत होने के बाद से उसकी मृत्यु के कारण या ऐसी मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों से संबं□धत बयानों या घोषणाओं से संबं□धत है। यदि कोई बयान जो अन्यथा अफवाह नियम के अंतर्गत आता है, साक्ष्य अ□धनियम की धारा 32 के अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है , तो आरोपी के अपराध का पता लगाने के □लए उस पर भरोसा नहीं □कया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

13. यद्य□प □वद्वान वकील द्वारा उद्धृत नहीं □कया गया है, ले□कन उनके द्वारा रखा गया प्रस्ताव इंद्रपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2001) 10 एससीसी 736, भैरों □सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के तीन अन्य निर्णयों द्वारा सम□र्थत प्रतीत होता है। ,(2009) 13 एससीसी 80 और कांतिलाल मार्ताजी पंडोर बनाम गुजरात राज्य, (2013) 8 एससीसी 781. ये सभी निर्णय भी उसी तर्क का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं जैसा □क गणनाथ पटनायक मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया था, अर्थात्, एक बार न्यायालय ने □कसी व्यक्ति की मृत्यु से संबं□धत आरोप से एक आरोपी

को बरी कर दिया है, सरल शब्दों में, आईपीसी की धारा 498ए के तहत आरोप साबित करने के लिए मृतक का साक्ष्य स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि तब मामला मृतक की मृत्यु से संबंधित नहीं रहेगा।

14. यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि वाक्यांश "ऐसे मामले जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है" केवल उन मामलों को संदर्भित करने से कहीं अधिक व्यापक है जहां हत्या, आत्महत्या या दहेज हत्या का आरोप है। ऐसे उदाहरण हैं जहां न्यायालयों ने ऐसे मामले में बयान स्वीकार करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) का उपयोग किया है जहां आरोप एक अलग प्रकृति का है या यहां तक कि एक नागरिक कार्रवाई में भी है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के दूसरे भाग से बिल्कुल स्पष्ट है जो निर्दिष्ट करता है कि ऐसे बयान प्रासंगिक हैं "कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिसमें उनकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है" । साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का उदाहरण (ए) एक बलात्कार के मामले में मृतक द्वारा दिए गए एक बयान को संदर्भित करता है जिसे इस धारा के तहत स्वीकार किया जा सकता है, जो कि साक्ष्य अधिनियम के लागू होने से पहले भी भारत में स्थिति थी। क्वीन बनाम बिसोरुन्जुन मुखर्जी के मामले में न्यायालय, (1866) 6 डब्ल्यूआर सीआर। 75.

15. लालजी दुसाध बनाम राजा सम्राट, एआईआर 1928 पैट 162 में, पटना उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 , 392 और 397 के तहत आरोपों से संबंधित एक मामले में मृतक द्वारा दिए गए बयानों की स्वीकार्यता को बरकरार रखा। उस मामले में, मृतक पीड़ित को उसी लेनदेन के हिस्से के रूप में लूट लिया गया और मार दिया गया। उस मामले में अभियुक्तों के विद्वान वकील की दलील, अन्य बातों के अलावा, यह थी कि मृतक के मृत्युपूर्व बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत धारा 392 और 397 के तहत आरोपों के संबंध में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आई.पी.सी. इस तर्क को नकारते हुए, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“मृत्युपूर्व बयानों के संबंध में एक और कानूनी बिंदु उठाया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि जहां तक धारा 392 और 397 के तहत अपराधों के आरोपों का सवाल है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत मृत्युपूर्व बयान स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि मृतक की मृत्यु का कारण प्रश्न में नहीं आता है। उन आरोपों की सुनवाई. यह तर्क दिया गया है कि इस बिंदु पर भारतीय कानून अंग्रेजी कानून के समान है और मृत्यु के कारण के बारे में मृत्युपूर्व बयान केवल तभी स्वीकार्य है जब मृत्यु का कारण आरोप का विषय हो। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता. धारा 32 के

शब्द बहुत व्यापक हैं और यह आवश्यक नहीं है □क आरोप हत्या का ही हो। मौत के कारण के सबूत डकैती के आरोप से प्रासं□गक थे और परिणामस्वरूप मौत का कारण यानी अपीलकर्ता द्वारा □कया गया हमला मुकदमे में सवालों के घेरे में आ गया। भारतीय साक्ष्य अ□धनियम लागू होने से पहले क्वीन बनाम बिसोरुंजुन मुखर्जी [(1866) 6 डब्ल्यूआर (सीआर) 75.] में यह कहा गया था □क भारत में अंग्रेजी कानून के बहुत संकीर्ण नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मृत्युपूर्व घोषणा की आवश्यकता नहीं है। बलात्कार के आरोप में सबूत के तौर पर इस्तेमाल □कया जा सकता है। वर्तमान भारतीय साक्ष्य अ□धनियम की धारा 32 का एक उदाहरण स्पष्ट रूप से ऐसे साक्ष्य प्रदान करता है जहां आरोप गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि बलात्कार है।"

(जोर दिया गया)

16. इसके अलावा, कई आरोपों के साथ कार्यवाही में, जहां एक सीधे तौर पर घोषणाकर्ता की मृत्यु से संबं□धत है और दूसरा नहीं, अदालत ने घोषणाकर्ता के साक्ष्य को स्वीकार कर □लया है, भले ही अ□भयोजन पक्ष मृत्यु से संबं□धत आरोप को साबित करने में □वफल रहा हो। उदाहरण के □लए, परमानंद गंगा प्रसाद बनाम सम्राट , एआईआर 1940 नाग 340 में , नागपुर के उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

> "7. ...हमारे द्वारा सुनाई गई अ□भयोजन की कहानी से पता चलता है □क पूरी पूछताछ के दौरान मुंडे की मौत का कारण महत्वपूर्ण था। ऐसा होने पर, केवल यह तथ्य □क हत्या का आरोप □वफल हो गया और आरोपी के घर नहीं लाया गया, यह बयान अन्य अपराधों के प्रयोजनों के □लए अस्वीकार्य नहीं होगा जो उसी लेनदेन के दौरान □कए गए थे और जिनके □लए आरो□पयों पर आरोप लगाए गए थे।
>
> 8. हम यह भी देख सकते हैं □क साक्ष्य के □कसी □वशेष टुकड़े की स्वीकार्यता के संबंध में सभी मामलों में स्वीकार्यता तय करने का भौतिक समय वह समय होता है जब न्यायालय को साक्ष्य प्राप्त हुआ था, न □क अंतिम परिणाम। इस मामले में जब अ□भयोजन पक्ष द्वारा बयान दर्ज □कए गए और मामले में साबित कर दिया गया तो □कसी भी परिस्थिति में यह तर्क नहीं दिया जा सका □क मृतक की मृत्यु का कारण प्रश्न में नहीं था। मुंडे की मृत्यु का कारण प्रश्न में था क्यों□क धारा 302 के तहत भी एक आरोप था, और यह आरोप उसी लेनदेन के हिस्से के रूप में धारा 239 (डी) के तहत मामले में अन्य आरोपों के साथ जोड़ा गया था। इस□लए, जिस स्तर पर इन बयानों को अ□भयोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य के रूप में रखा गया था, यह तर्क नहीं दिया जा सकता था □क वे स्वीकार्य नहीं थे

और एक बार साक्ष्य में स्वीकार क्रए जाने के बाद दस्तावेज़ मामले में सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य रहता है। मामले के बाद के परिणाम, अर्थात, हत्या के आरोप की विफलता से दस्तावेज़ की स्वीकार्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एआईआर 1938 पीसी 130 में प्रिवी काउंसिल के उनके आधिपत्य के रूप में [बाबूलाल बनाम सम्राट , (1938) 25 एआईआर पीसी 130: 174 आईसी 1: 65 आईए 158: 32 एसएलआर 476: 39 सीआर एलजे 452: आईएलआर (1938) 2 कैल 295 (पीसी)] में कहा गया है क्र कार्यवाही में प्रासंगिक समय बिंदु जिस पर लेन-देन की समानता की शर्त पूरी होनी चाहिए वह आरोप का समय है, न क्र अंतिम परिणाम का, हमें लगता है क्र इसे बताना उचित होगा। क्रसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता के संबंध में..."

(जोर दिया गया)

17. उपरोक्त घोषणाओं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के शब्दों से, ऐसा प्रतीत होता है क्र उक्त धारा के तहत स्वीकार्यता के लिए परीक्षण यह नहीं है क्र स्वीकार क्रए जाने वाले साक्ष्य का सीधा संबंध मृत्यु से संबंधित आरोप से होना चाहिए व्यक्ति का, या क्र मृत्यु से संबंधित आरोप साबित नहीं क्रया जा सका। बल्कि, परीक्षण यह प्रतीत होता है क्र कार्यवाही की प्रकृति की परवाह क्रए बिना, उस मामले में मृत्यु का कारण प्रश्न में आना चाहिए, और जिस उद्देश्य के लिए इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार करने की मांग की जा रही है, वह 'परिस्थितियों' का हिस्सा होना चाहिए मृत्यु से संबंधित लेन-देन का।

18. वाक्यांश 'लेन-देन की परिस्थितियाँ', जैसा क्र अनुभाग में घटित होता है, की व्याख्या प्रिवी काउंसिल द्वारा फैसले में की गई है, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत साक्ष्य की स्वीकार्यता पर लोकस क्लासिकस माना जाता है, पकाला नारायण स्वामी बनाम क्रंगएम्परर, एआईआर 1939 पीसी 47। उस मामले में, प्रिवी काउंसिल हत्या के एक मामले से निपट रही थी जिसमें आरोपी के खिलाफ सबूतों में से एक मृतक द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया बयान था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया क्र अफवाह नियम के कारण ऐसे साक्ष्यों को बाहर रखा जाना चाहिए। हालाँक्र, उक्त साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत स्वीकार क्रया गया और आरोपी को दोषी ठहराया गया। अपील में, प्रिवी काउंसिल को एक प्रश्न का उत्तर देना था जो इस बात से संबंधित था क्र मृतक का बयान ठीक से स्वीकार क्रया गया था या नहीं। उस संदर्भ में, प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

“इस धारा के प्रभाव को लेकर भारतीय अदालतों में कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। यह सुझाव दिया गया है क्र लेन-देन होने के बाद बयान दिया जाना चाहिए, क्र इसे बनाने वाले व्यक्ति को क्सी भी दर पर मृत्यु के करीब होना चाहिए, क्र "परिस्थितियों" में केवल वे कार्य शाम्मल हो सकते हैं जो मृत्यु हुई थी और जहां मृत्यु हुई थी। उनके आध्पत्य की राय है क्र इस्तेमाल क्ए गए शब्दों का प्राकृतिक अर्थ इनमें से क्सी भी सीमा को व्यक्त नहीं करता है। मृत्यु का कारण सामने आने से पहले, या मृतक के पास मारे जाने की आशंका का कोई कारण होने से पहले बयान दिया जा सकता है। **परिस्थितियाँ लेन-देन की परिस्थितियाँ होनी चाहिए: भय या संदेह का संकेत देने वाली सामान्य अभिव्यक्तियाँ, चाहे वह क्सी विशेष व्यक्ति का हो या अन्यथा और मृत्यु के अवसर से सीधे संबंधित न हों, स्वीकार्य नहीं होंगी। लेक्न मृतक द्वारा दिए गए बयान क्र वह उस स्थान पर जा रहा था जहां वह वास्तव में मारा गया था, या उसके ऐसा करने के कारणों के बारे में, या क्र वह क्सी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहा था, या क्र उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा आमंत्रित क्या गया था उससे मिलें क्या उनमें से प्रत्येक लेन-देन की परिस्थितियाँ होंगी**, और ऐसा ही होगा चाहे व्यक्ति अज्ञात था, या आरोपी व्यक्ति नहीं था। ऐसा बयान वास्तव में आरोपी व्यक्ति को दोषमुक्त कर सकता है।

"लेन-देन की परिस्थितियाँ" निस्संदेह एक वाक्यांश है जो कुछ सीमाएँ बताता है। यह "परिस्थितिजन्य साक्ष्य" में समान उपयोग जितना व्यापक नहीं है, जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों के साक्ष्य शामिल हैं। दूसरी ओर यह "रेस गेस्टे" से संकीर्ण है। परिस्थितियों का वास्तविक घटना से कुछ निकटतम संबंध होना चाहिए: हालाँक्, उदाहरण के लिए लंबे समय तक विषाक्तता के मामले में, वे वास्तविक घातक खुराक की तारीख से काफी दूरी पर तारीखों से संबंधित हो सकते हैं।

यह देखा जाएगा क्र "परिस्थितियाँ" लेनदेन की हैं जिसके परिणामस्वरूप घोषणाकर्ता की मृत्यु हो गई। यह आवश्यक नहीं है क्र घोषणाकर्ता की मृत्यु अंततः हुई है, इसके अलावा कोई ज्ञात लेनदेन होना चाहिए, क्योंक्र साक्ष्य की स्वीकार्यता की शर्त यह है क्र "[घोषणाकर्ता की] मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।" वर्तमान मामले में मृतक की मौत का कारण सवालों के घेरे में है। लेन-देन वह है जिसमें मृतक की 21 या 22 मार्च को हत्या कर दी गई थी और उसका शव एक ट्रंक में पाया गया था जिसे आरोपी की ओर से खरीदा गया साबित हुआ था। मृतक द्वारा 20 या 21 मार्च को दिया गया बयान क्र वह उस स्थान पर जा

रहा था जहां आरोपी रहता था, और एक व्यक्ति से मिलने के लिए, आरोपी की पत्नी, जो आरोपी के घर में रहती थी, स्पष्ट रूप से एक बयान प्रतीत होता है लेन-देन की कुछ परिस्थितियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बयान सही ढंग से स्वीकार किया गया था।" (जोर दिया गया)

19. कानून के इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर बरकरार रखा गया है। **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116** में , इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के सिद्धांतों का सारांश दिया, जिसमें "लेन-देन की परिस्थितियों" से संबंधित सिद्धांत शामिल हैं:

"21. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की समीक्षा और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) की स्पष्ट भाषा से, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं:

(1) धारा 32 सुनी-सुनाई बातों के नियम का अपवाद है और मरने वाले व्यक्ति के बयान को स्वीकार्य बनाती है, चाहे मौत हत्या हो या आत्महत्या, बशर्ते बयान मौत के कारण से संबंधित हो, या ऐसी परिस्थितियों को प्रदर्शित करता हो जो मौत की ओर ले जाती हैं। मौत। इस संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने , हमारे समाज की विशिष्ट स्थितियों और हमारे लोगों की विविध प्रकृति और चरित्र को ध्यान में रखते हुए, अन्याय से बचने के लिए धारा 32 के दायरे को व्यापक बनाना आवश्यक समझा है।

(2) निकटता के परीक्षण को बहुत शाब्दिक रूप से नहीं समझा जा सकता है और व्यावहारिक रूप से इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के एक कटे और सूखे फार्मूले तक सीमित नहीं किया जा सकता है ताकि इसे एक स्ट्रेटजैकेट में सीमित किया जा सके। समय की दूरी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर या भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, जहां मृत्यु लंबे समय से चल रहे एक सतत नाटक की तार्किक परिणति है और मानो कहानी का समापन है, वहां नाटक के अंत से सीधे जुड़े प्रत्येक चरण के बारे में बयान स्वीकार्य होगा क्योंकि पूरा बयान होगा इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए। कभी-कभी किसी तात्कालिक मकसद से संबंधित या प्रस्तुत करने वाले बयान भी मौत के लेन-देन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सभी कथन मृतक की मृत्यु के बाद ही सामने आते हैं जो मृत्यु से बोलता है। उदाहरण के लिए, जहां मृत्यु विवाह के बहुत कम समय के भीतर होती है या समय की दूरी 34 महीने से अधिक नहीं होती है, तो बयान धारा 32 के तहत स्वीकार्य हो सकता है।

(3) धारा 32 के खंड (1) का दूसरा भाग इस नियम का एक और अपवाद है कि आपराधिक कानून में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसके अधीन नहीं किया जा रहा था या अभियुक्त द्वारा जिरह का अवसर नहीं दिया गया था, मूल्यहीन होगा क्योंकि प्रतिपरीक्षा का स्थान शपथ की गंभीरता और पवित्रता द्वारा लिया जाता है, जिसका सरल कारण यह है कि मृत्यु के कगार पर मौजूद व्यक्ति के गलत बयान देने की संभावना नहीं है, जब तक कि यह दिखाने के लिए मजबूत सबूत न हों कि बयान या तो संकेत या ट्यूशन देकर सुरक्षित किया गया था।

(4) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि धारा 32 अकेले हत्या की बात नहीं करती है बल्कि इसमें आत्महत्या भी शामिल है, इसलिए सभी परिस्थितियाँ जो हत्या के मामले को साबित करने के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं, आत्महत्या के मामले को साबित करने के लिए समान रूप से प्रासंगिक होंगी।

(5) जहां मुख्य साक्ष्य में मृतक द्वारा लिखे गए बयान और पत्र शामिल हैं जो सीधे उसकी मृत्यु से जुड़े हैं या उससे संबंधित हैं और जो एक कहानी का खुलासा करते हैं, उक्त बयान स्पष्ट रूप से धारा 32 के चार कोनों के अंतर्गत आएगा और इसलिए , स्वीकार्य. ऐसे मामलों में केवल समय की दूरी ही कथन को अप्रासंगिक नहीं बनाएगी।"

(जोर दिया गया)

20. उपरोक्त घोषणाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि, कुछ परिस्थितियों में, क्रूरता के संबंध में मृत पत्नी के साक्ष्य आईपीसी की धारा 32(1) के तहत धारा 498 ए के तहत आरोप के मुकदमे में स्वीकार्य हो सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम. हालाँकि, कुछ आवश्यक पूर्व शर्तें हैं जिन्हें साक्ष्य स्वीकार करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

21. पहली शर्त यह है कि मामले में उसकी मौत का कारण सामने आना चाहिए। उदाहरण के लिए, इसमें ऐसे मामले शामिल होंगे जहां आईपीसी की धारा 498 ए के तहत आरोप के साथ , अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 , 306 या 304 बी के तहत भी आरोप लगाया है । हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आ गया है, तब तक मृत्यु से संबंधित आरोप साबित हुआ है या नहीं, यह स्वीकार्यता के संबंध में महत्वहीन है।

22. दूसरी शर्त यह है कि अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि आईपीसी की धारा 498ए के संबंध में जिस साक्ष्य को स्वीकार करने की मांग की गई है, वह

मृत्यु के लेनदेन की परिस्थितियों से भी संबंधित होना चाहिए। साक्ष्य कितना पुराना हो सकता है, और साक्ष्य मृतक की मृत्यु के कारण से कितना जुड़ा है, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसके संबंध में कोई विशेष स्ट्रेटजैकेट फार्मूला या नियम नहीं दिया जा सकता।

23. उपरोक्त सीमा तक, **गणनाथ पटनायक** (सुप्रा), **इंद्रपाल** (सुप्रा), **भैरों सिंह** (सुप्रा) और **कांतिलाल मार्ताजी पंडोर** (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले, जिसमें यह माना गया है कि मृतक के साक्ष्य नहीं हो सकते आईपीसी की धारा 498ए के तहत आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत केवल इसलिए स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि आरोपी मृतक की मौत से संबंधित आरोप से बरी हो गया है, यह सही नहीं हो सकता है। ये निर्णय उस सीमित सीमा तक ख़ारिज किये जाते हैं।

24. वर्तमान मामले पर आते हुए, हमारी राय है कि इस न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि मृतक के बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया है, इस अपील पर इस पहलू पर विचार किए बिना भी निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूत उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के अपराध को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं।

25. यह तथ्य कि मृतक की पत्नी को परेशान किया जा रहा था, पीडब्लू 3 (मृतक की माँ) के साक्ष्य से स्पष्ट है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में विशेष रूप से कहा था कि उनकी शादी के कुछ दिनों के भीतर, अपीलकर्ता मृतिका को इस धमकी के साथ उसके माता-पिता के घर वापस ले आया कि यदि अतिरिक्त दहेज नहीं दिया गया, तो वह उसे छोड़ देगा और किसी अन्य "सुंदर" लड़की से शादी कर लेगा। इस तरह के उत्पीड़न के परिणामस्वरूप, मृतक ने कथित तौर पर पहली बार जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। जब उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अपीलकर्ता भी एक हिस्सा था, जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि दहेज की कोई और मांग नहीं की जाएगी। इस समझौते को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक्सटेंशन पी3 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। हालाँकि उच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि उक्त समझौता साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं था, इसके अस्तित्व के तथ्य को PW9, जो एक स्वतंत्र गवाह है, के साथ-साथ PW3 द्वारा भी दर्शाया गया है। इसके अलावा, पीडब्लू 3 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि समझौते के बाद भी, अपीलकर्ता ने मृतक के साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा था। मृतिका ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण अंततः साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

26. अपीलकर्ता के □वद्वान वकील, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इस न्यायालय को यह □वश्वास नहीं दिला सके □क PW3 का साक्ष्य अ□वश्वसनीय था। नीचे न्यायालयों के तीन समवर्ती निष्कर्ष हैं जो पीडब्लू3 के साक्ष्य की □वश्वसनीयता को कायम रखते हैं। अपीलकर्ता के □वद्वान वकील की यह दलील □क पीडब्लू 3 का साक्ष्य अ□वश्वसनीय है क्यों□क वह मृतक की मां है, को स्वीकार नहीं □कया जा सकता। यह कानून का स्था□पत □सद्धांत है □क संबं□धत या इच्छुक गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल उसी आधार पर खारिज नहीं □कया जा सकता है। हालाँ□क, □ववेक के एक नियम के रूप में, न्यायालय ऐसे संबं□धत या इच्छुक गवाह के साक्ष्य की अ□धक सावधानी से जांच कर सकता है। **इलंगोवन बनाम टीएन राज्य , (2020) 10 एससीसी 533** में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> "7. संबं□धत गवाहों की गवाही के संबंध में अपीलकर्ता के वकील की पहली प्रस्तुति के संबंध में, यह स्था□पत कानून है □क संबं□धत या इच्छुक गवाह की गवाही को ध्यान में रखा जा सकता है, ऐसे मामलों में न्यायालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करना (देखें सुधाकर बनाम राज्य , (2018) 5 एससीसी 435)। इस प्रकार, अपीलकर्ता के वकील की केवल यह दलील, □क मामले में गवाहों की गवाही को नजरअंदाज □कया जाना चाहिए क्यों□क वे संबं□धत थीं, अदालत के ध्यान में अ□वश्वास का कोई कारण लाए बिना, इसे स्वीकार नहीं □कया जा सकता है।

27. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपीलकर्ता की दोष□सद्ध की पुष्टि करने और उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा देने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

28. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी जमानत पर है। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें सजा की शेष अवा□ध पूरी करने के □लए आज से एक सप्ताह के भीतर संबं□धत अ□धकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

अनुवादकर्त्ता

मनोज कुमार शर्मा

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश–II

गुमला, झारखण्ड